

Hkkj r l j dkj
[kku ea=ky;
Hkkj rh; [kku C; j k] }ks=h; [kku fu; a=d dk; kzy;
f}rh; ry] th0 , l 0 vkbD OhYM Af' k{k.k dWn] egkys[kkdkj dk; kzy; i fj l j]
i kLV&fo/kkul Hkkj jk; i j &492005 %NUkh x<#
Oku , oi ODI &0771&2282530] 2285590/95 b&esy% ro.raipur@ibm.gov.in



No- CHG/RAP/LST-38MPR28016

खान कोड- 38MPR28016

fnukad%&22.02.2022

प्रेषित-

श्री सौरव अग्रवाल,
खान मालिक एवं पट्टेदार,
पिता - श्री गोपाल अग्रवाल,
सी -66, सेक्टर -4, देबेन्द्र नगर,
जिला- रायपुर, छत्तीसगढ़- 492004
ईमेल-kapil.mining@yahoo.in

बिसय: छत्तीसगढ़ राज्य के बलोदा बाजार जिले में स्थित आपके भालुकोना चुनापथर खदान 3.198 हैक्टर में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 एवं 2021 के नियमों के संबंध में ।

महोदय,

आपकी उपरोक्त खान का निरीक्षण दिनांक 16/12/2021 को इस कार्यालय के श्री प्रशान्त कुमार साहू, सहायक खनन अभियंता द्वारा श्री सौरव अग्रवाल, पट्टेदार कि उपस्थिति में किया गया तथा खान के निरीक्षण के उपरांत पाया गया कि आपने खनिज संरक्षण विकास नियमावली 2017 एवं संशोधित नियमावली 2021 के निम्नलिखित नियमों का उल्लंघन किया है ।

fu; e	mYy@ku ds i dkj dk foLr r C; k] k
11(1)	The following violations have been found in the mine from approved Modified Minng Plan vide letter no. BBZR/LST/MPLN-1105/2017- RAIPUR dated 18.08.2017 for the period of 2017-18 to 2021-22. i) During the year 2017-18; It was proposed to carry out 02 nos. of core bore holes up to a cumulative depth of 50 meters; whereas, no boreholes have been drilled so far. ii) During the year 2017-18; there was a proposal given for backfilling at 7.5 meter barrier zone along lease boundary in between local co-ordinates N127 to S110 and E180 to E196. Whereas, backfilling has not been done so far.
26(2)	A yearly report as per the format specified by the Indian Bureau of Mines, before 1st day of July every year setting forth the extent of protective and rehabilitative works carried out as envisaged in the approved mine closure plan has not been submitted for the year 2020-21.
45(5)(C)	While scrutiny of annual return for financial year 2020-21 following discrepancies are observed; i) At part – I of table no. 12, the lease area (surface area) utilization at the end of the year has not been furnished. ii) At part – III of table no. 2 (Royalty and Rents), the payment made to the State Govt. under the heads of Dead Rent & Surface Rent have not been mentioned.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 एवं संशोधित नियमावली 2021 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं इस नियम का उल्लंघन की अनुपालन नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 एवं संशोधित नियमावली 2021 के नियम 11(2) एवं 45(7) के अंतर्गत ।

- (क) नियत तारीख तक प्रस्तुत नहीं करने पर या वार्षिक में अपूर्ण/गलत/मिथ्या सूचना देने पर 10,000/ रुपये प्रति दिन नियत तारीख के पश्चात उल्लंघन में सुधार तक भुगतान करना होगा।
- (ख) खान की समस्त खनन संक्रियाएं बंद की जा सकती है।
- (ग) आपके विरुद्ध अभियोग याचिका दायर किया जा सकता है।

(घ) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है।

03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघन 11(1) एवं 26(2) का अतिषिघ्न सुधार करें एवं इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 45 दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

04. अतः आपको यह भी निर्देश दिया जाता है कि आप उपरोक्त उल्लंघन 45(5)(C) का अतिषिघ्न सुधार करें एवं इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 30 दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

आपको यह निर्देश दिया जाता है कि आप इस पत्र के जारी होने के दिनांक से उपरोक्त दिवस के भीतर कारण बताए कि क्यों न (ख) खान की सारी खनन संक्रियाएँ बंद की जाए। (ग) आपके विरुद्ध अभियोग दायर की जाए। (घ) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जाए।

भवदीय

(देवदुर्लव दाश)
वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. खान नियंत्रक (मध्य), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर-440001
2. संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़ इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, अटल नगर, छत्तीसगढ़।
3. निदेशक (सांख्यिकी) एवं प्रभारी अधिकारी ख.ख.सां.वि. भारतीय खान ब्यूरो, वी मंजिल, ब्लाक डी, सिविल लाइन्स, नागपुर- 440001।

(देवदुर्लव दाश)
वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर